अनुबंध

अनुबंध-I

पैरा 12.2 के संदर्भ में

आठ चयनित समूहों के प्रोफाईल को दिखाने वाले कथन

क्र.सं.	समूह का नाम एवं स्थिति और के.वी.आई.सी. का अधिकार क्षेत्र	आई.ए तथा टी.ए. का नाम एवं स्थिति	समूह के क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण	बजटीय अनुदान के बाहर खर्च (₹ लाख में)
1.	बारपेटा केन एवं बांस शिल्प (बी सी बी) समूह, बारपेटा, असम राज्य कार्यालय- गुवाहाटी	आई ए- आंचलिक ग्राम उन्नयन परिषद, बारपेटा, असम टी ए- भारतीय उद्यमिता संस्थान (आई आई इ), भारत सरकार, गुवाहटी	केन एवं बांस शिल्प-सजावट तथा उपयोगिता उत्पादों का उत्पादन	78.50
2.	सुरेन्द्र नगर कॉटन खादी (एस सी के) समूह, गुजरात राज्य कार्यालय- अहमदाबाद	आई ए- सौराष्ट्र रचनात्मक समिति, राजकोट टी ए- भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, अहमदाबाद	कताई, बुनाई तथा खादी कपड़ों का उत्पादन, चटाई, तौलिया, आदि	104.03
3.	सिंहभूम मधुमक्खी पालन समूह (एस बी के), झारखण्ड राज्य कार्यालय - रांची	आई ए- सिंहभूम ग्रामोद्योग विकास संस्थान,निमडिह, चाईबासा (पश्चिम सिंहभूम) टी ए-जेवियर प्रबंधन संस्थान भुवनेश्वर	कच्चा शहद का संग्रहण, तथा इसका प्रसंस्करण एवं विपणन। संबद्ध उत्पादों जैसे शहद, अदरख जेली, तुलसी, शहद, अदरख आंवला आदि के उत्पादन में भी व्यस्त था।	72.90
4.	सींग एवं हड्डी उत्पाद (एच ए बी) समूह, संभल मुरादाबाद (उ.प्र.) मंडलीय कार्यालय मेरठ	आई ए- मै. रूदायन ग्राम विकास आश्रम, संभल (उ.प्र.) टी.ए- भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, अहमदाबाद	सींग एवं हड्डी से बने ज्वेलरी, वस्तुएं, फोटो फ्रेम, सींग बटन आदि।	63.12

5.	टीकरमाफी वूलन एवं कॉटन खादी (टी डब्ल्यू एवं सी के) समूह, सुल्तानपुर (उ.प्र.) राज्य कार्यालय- लखनऊ	आई ए- मै. क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम, सुल्तानपुर (उ.प्र.) टी.ए- भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, अहमदाबाद	कपड़े, लुंगी, चादर, शर्ट, थान, कुर्ता, पायजामा आदि का उत्पादन।	63.81
6.	सिद्ध एवं आयुर्वेद (एस एवं ए) समूह, तमिलनाडू मण्डलीय कार्यालय - मदुरई	आई ए- लक्ष्मी सेवा संघम डिंडिगुल, तमिलनाडु टी ए- राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम संस्थान (एन.आई-एम एस एम ई), हैदराबाद	जड़ी-बूटी का संग्रह तथा सिद्ध एवं आयुर्वेदिक दवाओं का उत्पादन।	78.50
7.	स्वामी रामानंद तीर्थ (एस आर टी) कॉटन खादी समूह नांदेड़, महाराष्ट्र राज्य कार्यालय -मुंबई	आई ए- मराठवाड़ा खादी ग्रामोद्योग संघ, नांदेड़। टी ए- भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, अहमदाबाद	कताई, बुनाई तथा खादी कपड़ों का उत्पादन तथा इसका विपणन	87.01
8.	अमरावती- वर्धा मधुमक्खी पालन (ए डब्ल्यू बी) समूह, महाराष्ट्र मण्डलीय कार्यालय- नागपुर	आई ए- प्रगति बहुद्देश्यीय संस्था, पुलगांव टी ए- केंद्रीय मधुमक्खी अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान, पुणे	आई ए कच्चा शहद की खरीद में संलग्न था जो मेलाघाट क्षेत्र के वनों से दस्तकारों द्वारा संग्रहित थे जो सी एफ सी मे तैयार होती थी एवं मेलाघाट के शहद के ब्रांड नाम से आई ए द्वारा विपणित की जाती थी।	66.53

अनुबंध-II

पैरा 12.2 के संदर्भ में

चयनित समूहों का प्रदर्शन

एस सी के समूह

विवरण	पूर्व-हस्तक्षेप अवधि	पश्च हस्तक्षेप अवधि							प्रतिशतता आधार वर्ष अर्थात् 2007-08 से 2014-15 की तुलना में वृद्धि/कमी
	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	
समूह में संलग्न दस्तकारों की संख्या	100	300	400	450	500	536	536	536	**+436**
समूह का उत्पादन (रु लाख में)	169	222	159	147	188	303	297	311	**+84.02**
समूह का उत्पादन (मीटर में)	2.10	3.03	1.94	1.36	1.25	1.89	1.38	1.75	**-16.67**
आई की लाभ/हानि* (रु लाख में)	0.99	2.87	3.10	4.62	6.45	8.48	11.62	12.12	**+1124.24**
उत्पादकता (मात्रा में उत्पादन/ दस्तकारों की सं.)	2100	1010	485	302.22	250	352.61	257.46	326.49	**-84.45**
स्फूर्ति केंद्र की लाभ/हानि	आई ए द्वारा कोई पृथक खाता अनुरक्षित नहीं किया गया था								
बिक्री	आई ए द्वारा कोई पृथक बिक्री आँकड़े अनुरक्षित नहीं किए गए थे।								

एस आर टी समूह

विवरण	पूर्व-हस्तक्षेप अवधि	पश्च हस्तक्षेप अवधि							प्रतिशतता आधार वर्ष अर्थात् 2007-08 से 2014-15 की तुलना में वृद्धि/कमी
	07-08	**08-09**	**09-10**	**10-11**	**11-12**	**12-13**	**13-14**	**14-15**	
समूह में संलग्न दस्तकारों की संख्या	301	339	386	412	406	480	483	479	**+59.14**
समूह का उत्पादन (रु लाख में)	103.55	110.47	132.48	119.87	164.92	181.12	160.48	147.18	**+42.13**
समूह का उत्पादन (मीटर में)	76632	79824	99142	92085	100092	118816	108680	105317	**+37.43**
आई ए की लाभ/हानि*	(0.30)	(0.57)	1.16	10.16	110.52	44.92	7.62	36.72	**+12340**
उत्पादकता (मात्रा में उत्पादन/दस्तकारों की सं.)	254.59	235.47	256.84	223.51	246.53	247.53	225.01	219.87	**-13.64**
बिक्री	**स्फूर्ति के लिए पृथक् बिक्री अनुरक्षित करने की कोई प्रणाली नहीं थी।**								

* आई ए द्वारा स्फूर्ति के लाभ/हानि गतिविधियों को पृथक रुप से अनुरक्षित नहीं किया गया था। ऊपर उल्लिखित लाभ/हानि आई ए की संपूर्ण लाभ/हानि को दर्शाती है जो आई ए के सभी उत्पादन केंद्रों को शामिल करती है (अर्थात् स्फूर्ति केंद्र तथा अन्य उत्पादन केंद्र)

एस एवं ए समूह

विवरण	पूर्व-हस्तक्षेप अवधि	पश्च हस्तक्षेप अवधि							प्रतिशतता आधार वर्ष अर्थात् 2007-08 से 2014-15 की तुलना में वृद्धि/कमी
	07-08	**08-09**	**09-10**	**10-11**	**11-12**	**12-13**	**13-14**	**14-15**	**2014-15**
समूह में संलग्न दस्तकारों की संख्या	242	626	626	626	665	665	665	665	**174.79**
समूह का उत्पादन (रु लाख में)	249.68	229.89	271.43	122.23	72.83	154.76	180.48	213.76	**-14.39**
समूह का उत्पादन (मात्रा में)	68415 कि.ग्रा.	75795 कि.ग्रा.	54415 कि.ग्रा.	22327 कि.ग्रा.	19045 कि.ग्रा.	24837 कि.ग्रा.	29282 कि.ग्रा.	45518 कि.ग्रा.	**-33.47**
	26445 ली.	48097 कि.ग्रा.	32865 ली.	3736 ली.	2895 ली.	5778 ली.	11376 ली.	5637 ली.	**-78.68**
स्फूर्ति केंद्र की लाभ/हानि (रु लाख में)	32.50	42.44	-24.89	3.95	-24.73	2.07	-16.45	3.64	**-88.80**
उत्पादकता (कि.ग्रा. में) (उत्पादन मात्रा में/ दस्तकारों की संख्या)	282.71	121.08	86.92	35.67	28.64	37.35	44.03	68.45	**-75.79**
उत्पादकता (ली. में)	109.28	76.83	52.50	5.97	4.35	8.69	17.11	8.48	**-92.24**
बिक्री (रु लाख में)	**244.15**	**332.49**	**225.56**	**182.65**	**113.66**	**208.11**	**206.66**	**285.43**	**+16.91**

ए डब्ल्यू बी समूह

विवरण	पूर्व-हस्तक्षेप		पश्च-हस्तक्षेप						प्रतिशतता आधार वर्ष अर्थात् 2007-08 से 2014-15 की तुलना में वृद्धि/कमी
	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	
समूह में संलग्न दस्तकारों की संख्या	70	150	220	320	430	510	510	510	**+628.57**
आई ए का उत्पादन (रु लाख में)	1.32	13.56	4.59	12.59	16.67	12.05	6.95	9.38	**+610.61**
आई ए का उत्पादन (कि.ग्रा. में)	2643	22594	6559	15742	15147	10044	6314	7213	**+172.91**
आई ए की लाभ/हानि (रु लाख में)	एन.ए	0.96	2.20	1.19	0.28	2.32	4.55	2.79	_
आई ए की बिक्री (रु लाख में)	**3.35**	**20.60**	**7.99**	**19.63**	**20.86**	**17.48**	**8.59**	**13.78**	**+311.34**

अनुबंध - III

(संदर्भ पैराग्राफ 14.2)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वर्ष 2014 पूर्ववर्ती प्रतिवेदन सं. 24, पर आधारित मंत्रालय द्वारा जारी लेखापरीक्षा अपवादों का पैरावार विवरण तथा वर्तमान स्थिति

2014 के ए आर 24 सं. पैरा	पैरा संक्षेप में	वर्तमान स्थिति
2.3	**लेखापरीक्षा बाधाएँ**	
2.4	**विनियामक तथा नियंत्रण मुद्दें**	
2.4.1	**कार्य कार्यक्रम तथा बजट (डब्ल्यू पी एवं बी) की स्वीकृति में विलंब**	ठेकेदार ने सीएजी की अभ्युक्ति को स्वीकार किया। 31 मार्च 2015 से पहले 2015-16 डब्ल्यू पी एवं बी को भी पूरा किया गया था। चालू लेखा परीक्षा में कोई विचलन नहीं देखा गया।
2.6	**डी 1 - डी 3 गैस क्षेत्रों से उत्पादन**	
2.6.4	**विकास लागत में वृद्धि** ऑपरेटर ने 80 एम एम एस सी एम डी के गैस उत्पादन को संभालने के लिए सुविधाओं को बढ़ाया। मार्च 2012 तक, ऑपरेटर ने एम सी द्वारा स्वीकृति लागत अमेरिकी डॉलर $ 5.20 बिलियन के सापेक्ष डी ।-डी 3 गैस क्षेत्रों के विकास पर अमेरिकी डॉलर **$** 5.76 बिलियन खर्च किया।	स्थिति पूर्ववत् रही। ऑपरेटर द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।
2.7	**व्यय संबंधित मुद्दे**	
2.7.1.1	**अभियांत्रिकी, खरीद, प्रतिष्ठापन तथा अपतटीय सुविधाओं के निर्माण के लिये संविदा** •	पी एन जी मंत्रालय ने पैरा 2.7.1.1 से 2.7.7.1.9 में टिप्पणी किए गए व्यय को अस्वीकृत कर दिया तथा ठेकेदार को तत्काल राशि लौटाने के दस्तावेजी

	अलसी मेरिन कांट्रेक्टर (एएमसी) अपतटीय सुविधाओं के इ पी आई सी संविदा मे को एकमुश्त तथा अनंतिम दर पर अस्थायी मूल्य क्रमश: 699.09 मिलियन यूरो तथा 64.99 मिलियन यूरो की ऐमुश्त तथा अनंतिम दर पर दिया गया। आपरेटर के विभिन्न कारकों के कारण, ए एम सी लक्ष्यों को प्राप्त नही कर सका। ऑपरेटर द्वारा कार्य को शीघ्रता से पूरा करने के लिए ए एम सी को लगभग 200 मिलियन यूरो की छूट दी गयी जो लागत वापसी के लिये अनुमत नही थे क्योंकि छूट इ पी आई सी के अनुरूप नही थी।	• साक्ष्य को प्रदान करने तथा छूट के फलस्वरूप अतिरिक्त पेट्रोलियम लाभ भारत सरकार को देने का निर्देश दिया। • ठेकेदार ने सभी मामलों में, पैरा 2.7.3 के अलावा जहां ठेकेदार द्वारा 2014-15 के लिए संशोधन प्रस्तावित था मंत्रालय द्वारा निर्देशित लागत वसूली के वापसी के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी। • फिर भी, लागत आवंटन से संबंधित इसी तरह के मुद्दे देखे गए तथा प्रतिवेदन के पैरा 2.2.3 तथा 2.2.9 मे टिप्पणी की गई है। • लेखापरीक्षा प्रतिवेदन **24** के पैरा सं. **2.7.6.2** के संबंध मे, **2012-13** तथा **2013-14** के दौरान सामान्य पट्टे के किराये प्रतिदिन के अलावा ऑपरेटर ने एफ पी एस ओ को सुविधा प्रदान करने के लिए अपटाईम बोनस का भी भुगतान किया इससे **2013-14** की अवधि के दौरान ठेकेदार को **$10.13** यू एस मिलियन का अतिरिक्त लाभ हुआ। प्रतिवेदन के पैरा **2.1.3** मे इस पर टिप्पणी की गई है।
2.7.1.2	एफ पी एस ओ को सुविधा देने के लिए ठेका	
2.7.1.2.1	**ड्राई डॉकिंग लाईफ का विस्तार** समझौता हस्ताक्षरित होने की तिथि के चार माह के अन्दर, ऑपरेटर ने एफ पी एस ओ को एक बार क्षतिपूर्ति $17.36 यू एस मिलियन के लिए ड्राई डॉकिंग लाईफ को 10 से 15 साल तक बढ़ाने के लिए निवेदन किया। चूंकि एफ पी एस ओ केवल 10 साल के लिए चार्टरिड किराए पर लिया गया था, ड्राई डॉकिंग को 15 साल के लिए विस्तार देना न्यायसंगत नहीं था।	
2.7.1.2.2	**वितरण मे तेजी लाने तथा कमिशनिंग टीम को जल्दी गतिमान तथा तेल और गैस के प्रथम उत्पादन की तिथि के विस्तार के लिए लागत में वृद्धि**	

	एफ पी एस ओ विक्रेता द्वारा अपनी ठेका बाध्यतायों को पूरा किए बिना, ऑपरेटर ने तेल उत्पादन की प्रथम तिथि (डी एफ पी ओ) को, बिना अर्थदंड लगाए, पुनर्निर्धारित कर दिया। इसके अतिरिक्त, समझौते में क्षतिपूर्ति या वितरण की शीघ्रता के लिए प्रोत्साहन की व्यवस्था न होने के बावजूद ऑपरेटर द्वारा **$45** यू एस मिलियन की क्षतिपूर्ति वेंडर को वेंडर कमीशन टीम के शीघ्र गतिमान तथा टॉप साईड माड्यूल आदि के शीघ्र वितरण के लिए भुगतान की गई।
2.7.1.2.3	रहने वाले क्वार्टरों की स्थापना तथा संविरचन एफ पी एस ओ को ऑपरेटर ने **10** साल के लिए पट्टे पर दिया था। फिर भी ऑपरेटर ने विद्यमान रहने वाले क्वार्टरों को चमकाया और फेब्रिकेट किया तथा अतिरिक्त रहने वाले क्वार्टरों की स्थापना **$15** यू एस मिलियन की लागत से इस आशय से की ताकि बाद की तारीख से एफ पी एस ओ को खरीद सके।
2.7.2	**अनियमित भुगतान**
2.7.2.1	लार्सेन एंड टूब्रो (एल एवं टी) लि. द्वारा ₹**22.7** मिलियन की लागत से तटीय टर्मिनल (ओ.टी.) का निर्माण तटीय टर्मिनल (ओ.टी.) निर्माण संविदा के अनुसार, विक्रेता द्वारा संयंत्र एवं उपस्कर (पी.एवं.ई.) को मोबिलाईज करने मे असमर्थ होने पर वेंडर को आर

	आई एल द्वारा संयंत्र एवं उपकरण प्रदान करने के कारण कोई क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं की जाएगी। फिर भी, वेंडर को ₹22.7 मिलियन की राशि क्रेन के लिए क्षतिपूर्ति प्रभार के रूप में दी गई जो कि संविदा को संशोधित करते हुए क्रेन को छोड़कर आर आई एल द्वारा किराये पर ली गई थी।	
2.7.2.2	निःशुल्क निर्गम सामग्री पर क्षतिपूर्ति के रूप में ₹**1110.90** मिलियन का भुगतान आर आई एल द्वारा दिए गए ओ टी के निर्माण से संबंधित चार लागत प्लस ठेकों में वेंडरों को क्षतिपूर्ति का सामान्य भुगतान केवल उनके द्वारा खर्च किए गए लागत पर किया जाना था। तथापि, इस संविदा में भी आर आई एल द्वारा आपूर्ति किए गए कुछ श्रेणियों जैसे सीमेंट इस्पात आदि के मुक्त- निर्गम सामग्री के मूल्य के प्रतिशतता के रूप में भुगतान वृद्धि का प्रावधान था।	
2.7.3	जोखिम सलाहकार सेवाओं पर खर्च के अनुचित आवंटन के परिणामस्वरूप अधिक लागत वसूली के जी-डी डब्ल्यू एन -98/3 ब्लॉक में वर्ष 2008-09 में अन्य ब्लॉकों को खर्च आवंटन नही किए जाने के फलस्वरूप $1.17 यू एस मिलियन (अमेरिकी डॉलर) की लागत वसूली अधिक दर्ज की गई।	

2.7.4	स्टार्ट-अप तथा उत्पादन बोनस का वसूली योग्य लागत के भाग के रूप में वर्गीकरण **:-** ब्लॉक से अर्जित किए गए राजस्व से कर्मचारियों को $12.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर के स्टार्ट-अप और उत्पादन बोनस का भुगतान किया गया। लेखापरीक्षा की राय में, चूंकि स्टार्ट-अप और उत्पादन बोनस एक बार के लिए था तथा तदर्थ प्रकृति का था, इन बोनसों का भुगतान गैस की बिक्री से अर्जित राजस्व से नहीं किया जाना चाहिए।	
2.7.5	ठेका प्रदान करना	
2.7.5.1	मै. ट्रांस-ओशन से ड्रिलिंग रिग 'डीपवाटर फ्रंटीयर' की **$88.77** यू एस मिलियन में टुकड़ों-**2** में किराये पर लेना ड्रिलिंग पहलू के पर्याप्त होने के बावजूद भी तथा वेंडर से प्राप्त खराब प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए डीप-वाटर ड्रिलिंग रिग्स की कमी को देखते हुए रिसाव-संकेतक का प्रावधान करना**,** ऑपरेटर ने ड्रिलिंग रिग्स को लंबे समय के लिए किराये पर लेने के विकल्प पर विचार करना बुद्धिमानी नहीं समझा तथा ऐसे लंबे समय किरायेदारी का फर्म दर लाभ उठाया।	
2.7.5.2	ड्रिलिंग (वेधन) पर्यवेक्षक को काम पर रखना **:-** ड्रिलिंग पहलू के पर्याप्त होने के बावजूद तथा वेंडरों से प्राप्त खराब प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए डीप-वाटर	

	ड्रिलिंग रिग्स की कमी को देखते हुए रिसाव-संकेतक का प्रावधान करना ऑपरेटर ने ड्रिलिंग रिग्स को लंबे समय के लिए किराये पर लेने के विचार पर विचार करना बुद्धिमानी नही समझा तथा ऐसे लंबे समय तक किरायेदारी का फर्म दर लाभ उठाया।	
2.7.6	अनिवार्य संविदात्मक कार्य के लिए अतिरिक्त भुगतान	
2.7.6.1	रिग संचालन के दौरान समय बचत के लिए बोनस भुगतान :- हेंगिगं ब्लो आउट प्रिवेंटर (बी.ओ.पी) के साथ कुओं के बीच रिग संचालन के दौरान समय बचत के लिए ऑपरेटर ने बोनस भुगतान किया।	
2.7.6.2	एफ पी एस ओ को सुविधा देने के लिए अपटाईम बोनस का भुगतान :- ऑपरेटर ने अपटाईम बोनस का भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप वेंडर को अतिरिक्त लाभ हुआ, चूंकि सामान्यतया बोनस भुगतान अतिरिक्त भुगतान है जिसे कार्य को पहले पूरा करने के लिए या उत्पादन स्तर मे वृद्धि के लिए इनाम पर प्रोत्साहन के रूप मे दिया जाता है, न कि अपनी संविदात्मक बाध्यताओं को प्रदर्शित करने के लिए। इस मामले में, चार्टर अवधि के दौरान ठेकेदार एफ पी एस ओ को उपलब्ध कराने के लिए बाध्य था।	
2.7.7	जुर्माना खण्ड का प्रवर्तन नहीं करना	

2.7.7.1	डीप वाटर ड्रिलिंग रिग डिस्कवर 534 मे इंजन की उपलब्धता :- ऑपरेटर द्वारा संविदात्मक दण्ड बाध्यताओं के प्रवर्तन में असफल रहने के कारण $57 यू एस मिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त व्यय किया गया जिसकी परिणति वेंडर से गैर-वसूली के रूप में हुई तथा इसलिए, इसे लागत वसूली के हिस्से के रूप मे नहीं करना चाहिए।	
2.8	**राजस्व मुद्दे**	
2.8.3	प्राकृतिक गैस की बिलिंग और लेखांकन	
2.8.3.1	उत्पादित गैस और बेची गई गैस पर विपणन मार्जिन **:-** ऑपरेटर ने गैस मूल्य को $4.430 यू एस एम एम बी टी यू की दर से प्रभारित किया जिसमे अपने उपभोक्ताओं से $ 0.135 यू.एस./एम.एम.बी.टी.यू. की मार्केटिंग मार्जिन शामिल थी। मार्केटिंग मार्जिन को पेट्रोलियम लागत, पेट्रोलियम लाभ तथा रॉयल्टी के उद्देश्य के लिए राजस्व के रूप मे नहीं माना गया, जबकि ठेकेदार ने 2009-10 से 2012-13 की अवधि के लिए $261.33 यू एस मिलियन की राशि संग्रहित की।	पी एन जी मं. ने अपने लेखापरीक्षा अपवाद मे ठेकेदार को आवश्यक समायोजन करने, दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करने तथा परिणामस्वरूप पेट्रोलियम तथा भारत सरकार को रायल्टी मे ब्याज के साथ सौंपने का निर्देश दिया। स्थिति यथावत है। वर्ष **2012-14** की अवधि के दौरान पड़े प्रभाव को प्रतिवेदन के अनु. **2.1.2** में दर्शाया गया है।
2.9	लेखांकन मुद्दे	
2.9.2	मूल कंपनी ओवरहेड्स **:-** **ऑपरेटर धारा** 2.6.2 **के अंतर्गत** 2002-08 **से मूल कंपनी ओवरहेड्स चार्ज कर रहा है।**	मंत्रालय ने अपने लेखापरीक्षा अपवाद मे ठेकेदार से स्पष्टीकरण तथा आवश्यक कार्यवाही करने की अपेक्षा की थी। ऑपरेटर ने अपने उत्तर मे (अप्रैल 2015) कहा कि सभी अपेक्षित विवरण

		लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र के साथ/डी जी एच द्वारा ऐसे व्यय से संबंधति प्रतिवेदन भेज दिए गए हैं। मंत्रालय से निर्णय प्रतीक्षित है।
2.9.3	कार्यस्थल जीर्णोद्धार निधि का अनुरक्षण **:-** पी एस सी के प्रावधान के अनुसार ऑपरेटर को एस आर एफ बनाने की आवश्यकता है। क्रमशः डी ।-डी 3 तथा एम.ए. तेल क्षेत्र को 11 साल के जीवन अर्थात् 2020 तक की आशा की गई है। ठेकेदार ने डी 1-डी 3 तथा एम ए तेल क्षेत्र के लिए एस आर एफ लागत क्रमश: $250 यू एस मिलियन तथा $32 यू एस मिलियन का अनुमान लगाया है अभी भी परित्यक्त योजनास्थल के जीर्णोद्धार का वार्षिक डब्ल्यू पी एवं बी के साथ प्रस्ताव एस सी को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत नही किया गया है। इसके अतिरिक्त, कुछ बिंदुओं पर जी.ओ.आई. को एस आर एफ के भार को बांटना था जो किसी न किसी तरह से पेट्रोलियम के लागत और लाभ को प्रभावित करता।	अपने लेखापरीक्षा अपवाद मे, पी एन जी मं. ने ठेकेदार को स्थल जीर्णोद्धार निधि-को बनाने तथा सूचित करने का निर्देश दिया। अभी ठेकेदार को पी एन जी मं के दिशा-निर्देशों का पालन करना है।
2.9.5	लेखांकन नीति मे परिवर्तन **-31** मार्च **2009-** नं. **2** (डी) परिसंपत्ति उपयोग प्रभार तथा नोट को संतुलन परीक्षण का भाग बनाते है:- ए यू सी के तरीका/नीति मे परिवर्तन/पुनरीक्षण के कारण ए यू सी को नई (संशोधित) नीति के अनुसार परिसंपति की खरीद की तिथि से पुनर्गणना करनी चाहिए। नए तरीके के अनुसार प्रभारों की पूर्वव्यापी पुनर्गणना से उत्पन्न कमी/अतिरेक को उस वर्ष	ऑपरेटर द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।

	के लेखे मे समायोजित किया जाएगा जिससे तरीके मे परिवर्तन होगा।	
2.9.6	कच्चे तेल और संघनन के अंतिम स्टॉक का उपचार जे.वी. के बुक मे कच्चे तेल और संघनन के अंतिम स्टॉक को लेखांकित नही किया था। फलस्वरूप, वर्ष **2008-09** से **2012-13** के लिए अंतिम स्टॉक के मूल के प्रति **$12.80** मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत वसूली समायोजित की जानी थी। वर्ष **2008-09** से **2012-13** के लिए पेट्रोलियम लाभ के अंतिम स्टॉक की कम प्रेषण **$ 0.14** यू.एस. मिलियन थी।	अभी ऑपेरेटर द्वारा कोई कार्रवाई नही की गई है।

अनुबंध - IV

(पैराग्राफ 14.2.1.2 में संदर्भित)

गैस की बिक्री पर उपभोक्ताओं को प्रभारित विपणन मार्जिन (पूर्ववर्ती प्रतिवेदन के आधार पर कार्य)

माह	बेची गई मात्रा एम एम बी टी यू	मार्केटिंग मार्जिन की दर	मार्केटिंग मार्जिन की कुल राशि (यू.एस. मिलियन $)	माह	बेची गई मात्रा एम एम बी टी यू	मार्केटिंग मार्जिन की दर	मार्केटिंग मार्जिन की कुल राशि (यू.एस. मिलियन $)
अप्रैल-12	32762848.46	0.135	4.42	अप्रैल13	15442012.44	0.135	2.08
मई -12	32699426.58	0.135	4.41	मई -13	15390608.56	0.135	2.08
जून -12	30545682.76	0.135	4.12	जून - 13	14339692.91	0.135	1.94
जुलाई-12	30159596.01	0.135	4.07	जुलाई - 13	14276550.57	0.135	1.93
अगस्त-12	28618232.24	0.135	3.86	अगस्त -13	14076342.62	0.135	1.90
सितंबर-12	26323550.70	0.135	3.55	सितंबर -13	13199561.94	0.135	1.78
अक्तूबर-12	26005359.45	0.135	3.51	अक्तूबर -13	12981087.15	0.135	1.75

नवंबर-12	22618687.53	0.135	3.05	नवंबर - 13	11898013.81	0.135	1.61
दिसंबर-12	22798657.39	0.135	3.08	दिसंबर -13	12073109.63	0.135	1.63
जनवरी-13	21549085.20	0.135	2.91	जनवरी -14	13953617.71	0.135	1.88
फरवरी-13	17325700.90	0.135	2.34	फरवरी -14	12702605.51	0.135	1.71
मार्च-13	17138197.97	0.135	2.31	मार्च - 14	13569598.54	0.135	1.83
	308545025.19	**0.135**	**41.65**		**163902801.39**	**0.135**	**22.13**

अनुबंध - V

(पैराग्राफ 14.4.1.2)

डी एस टी प्रभारों का कु.आँ.-वार/क्षेत्र-वार विवरण तथा के जी डी 6 ब्लॉक के लिए लागत वसूली के लिए विचार किए गए ब्यौरे

क्षेत्र	कुआँ	दर्ज किए गए खर्च (यू एस $ में)	वसूली योग्य लागत मे विचारणीय खर्च (यू एस $ में)
खोज *	एम जे -1	1619221.68	शून्य*
खोज *	एम जे 1 ड्रिलिंग तैयारी	104419.89	शून्य*
एम ए	एम ए-8	2029159.46	2029159.46
एम ए	ड्रिलिंग तैयारी	34791.55	34791.55
कार्य समाप्त	ए 2ए	916471.40	916471.40
कार्य समाप्त	एम ए-6एच	809573.03	809573.03
कार्य समाप्त	ड्रिलिंग तैयारी	174002.99	174002.99
ओ एफ डी पी	ड्रिलिंग तैयारी	34791.55	34791.55
कुल लागत		**5,722,431.55**	**3,998,789.98**

***एम जे की लागत वसूली हकदारी भारत सरकार के ज्ञापन सं. ओ.-19025/10/2005- ओ एन जी- डी वी दिनांक 1 फरवरी 2013 के अनुसार होगी।**